

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक—

विषय— सुपौल जिलान्तर्गत श्रीपुर ग्राम के खाता संख्या—60, खेसरा संख्या—3719 में NH-57 पथ के किनारे का 1:50,000 स्केल का टोपोशीट नक्सा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन के साथ कहना है कि मेरे द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया कार्यालय, पटना से प्रस्तावित स्थल का टोपोशीट नक्सा उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया गया था। परंतु सर्वे ऑफ इंडिया कार्यालय, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त टोपोशीट नक्सा बॉर्डर एरिया के पास का है, इसलिए यह नक्सा सर्वे ऑफ इंडिया कार्यालय, पटना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अतएव अनुरोध है कि बिना टोपोशीट नक्सा के ही मेरे द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

Ajay Kumar

(अजय कुमार)